न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 83/2014 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2008/00006)

अनवानः

1. गोपालराम पुत्र श्री बिशनाराम जाति बिश्नोई निवासी सतजन्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. ओंकार मल पुत्र श्री राम स्वरूप जाति बिश्नोई निवासी डाबला हाल निवासी वार्ड नंबर 12, गली नंबर 2, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, भुट्ठा कॉलोनी उर्फ झम्बाराम कॉलोनी, फतेहाबाद (हरियाणा) वगैरह।

11/3/26

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई, बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नही हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग
सत्यमेव जयते